"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 16, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–72/2017/वाक/पांच (122). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक जुलाई, 2017 मास के लिए प्ररूप जीएसटी आर–3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का अधित्यजन करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ–10–72/2017/वाक/पांच (122). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–72/2017/वाक/पांच (122) दिनांक 6–9–2017 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 6th September 2017

NOTIFICATION
No. 28 /2017 – State Tax

No. F-10- 72 /2017/CT/V (122). — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the month of July, 2017 by the due date.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.